राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1326/2013/जोधपुर

मैसर्स हिमगिरी बेवरीज
जे–26,मिनी ग्रोथ सेन्टर, सांगरिया,जोधपुर अपीलार्थी

बनाम

उपायुक्त(प्रशासन)
वाणिज्यिक कर विभाग,जोधपुर प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित
श्री प्रफुल्ल मेहता
सी.एस अपीलार्थी की ओर से
श्री एन.के. बैद
उप राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 18.03.2014

निर्णय

अपीलार्थी व्यवहारी यह अपीलं उपायुक्त(प्रशासन), जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.03.2013, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) के प्रावधानानुसार पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है तथा जिसमें सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,घट प्रथम,प्रतिकरापवंचन,जोधपुंर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 25 व 61 के तहत् पारित निर्धारण आदेश दिनांक 23.07.2012, निर्धारण वर्ष 2012–2013 के संबंध में कायम की गयी मांग राशि के विरूद्ध अधिनियम की धारा 68(1) के तहत् निर्धारित प्ररूप प्रस्तुत वैट–60 में प्रस्तुत प्रशमन आवदेन पत्र को "अपीलीय अधिकारी" द्वारा अस्वीकार किया गया है, जिससे असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई हैं।

अपीलार्थियों के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश प्रथम दृष्ट्या विधि के विरूद्ध हैं । इस संबंध में अग्रिम तर्क दिया कि अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध अधिनियम की धारा 25 व 61 के तहत् दिनांक 23.07.2012 को निर्धारण आदेश पारित किया गया है एवम् अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपराध के शमन हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक **05.03.2013** को प्रस्तुत किया गया था जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 24.03.2013 का खारिज किया गया । अपीलार्थी व्यवहारी को विश्वास था कि उसका शमन प्रार्थना पत्र स्वीकार हो जायेगा एवम्

आवश्यकता है। इसी प्रकार प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों की अवहेलना कर, एकपक्षीय निर्धारण आदेश पारित किया गया है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा निर्धारण अधिकारी एवम् सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा फार्म वैट 60 नियम 74(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अन्तिम पैरा में अपना अपराध स्वीकार किया है,जिसमें निम्न प्रकार अंकित किया:–

"In this regard, it is submitted that I admit the offence and request for composition of the offence in lieu of penalty or prosecution."

उनका कथन है कि उक्त प्रार्थना पत्र स्पष्ट रूप से अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अंकित किया गया है कि उसे नोटिस प्राप्त हो चुका है। विभागीय प्रतिनिधि ने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया ।

उभय पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवम् अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया गया । अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 68(1) के प्रावधानानुसार कारित अपराध के लिये कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कायम की गयी राशि को अधिनियम के प्रावधानानुसार शमन करनें हेतु निर्धारित वैट प्ररूप–60 में आवेदन किया गया है जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है कि "धारा 61(1) में दुगुनी शास्ति आरोपण आदेश होने तथा तद्नुसार मांग पत्र जारी होने के बाद प्रशमन कार्यवाही किया जाना उक्त धाराओं के अनुकूल नही है" इस सन्दर्भ में अधिनियम की धारा 68(2) का अध्ययन करना समीचीन होगा,जिसमें स्पष्टतया वर्णन है कि धारा 68 (1) में प्रस्तुत आवेदन पत्र को सम्बन्धित उपायुक्त(प्रशासन) को अपराध शमन हेतु (प्रावधान में अर्न्तनिहित शतों के अनुसार) स्वीकार कर सकता है। अपीलार्थियों के विद्वान अभिभभाषक का मुख्य कथन है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश पारित किये गये हैं,जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है। इस सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान राजस्थान मूल्य परिवर्धित नियम,2006 के नियम 48 का उल्लेख किया है। नियम 48 निम्न प्रकार है :–

"48. Granting opportunity of hearing and recording of reasons,- Where an assessing authority or any other officer, enhances the admitted tax liability of a dealer, or imposes a penalty on him or on any other person under the provisions of the Act or

द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाथी को सुनवाई का अवसर उपलब्ध िकार्ड के अनुसार प्रदान नहीं किया गया है। अतः अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेशों को अपास्त करते हुए प्रकरण अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलाथी को सुनवाई का एक अवसर प्रदान कर व्यवहारी अपीलार्थियों के आफेन्स शमन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार/स्वीकार करने के सम्बन्ध में तथ्यों की विस्तृत विवेचना करते हुए और इस निर्णय की प्राप्ति के पश्चात दो माह की अवधि में पुनः सुसंगत एवं विधि अनुकूल निर्णय पारित करें।

फलस्वरूप प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता हैं।

निर्णय सुनाया गया ।

(सुनील शर्मा)
सदस्य